## नवीकरण प्रमाण पत्र कमांक.....

प्रारूप - 9 नियम 8 (2) देखिये

दिनांक 03/3/2043

संख्या ५336





सोसाइटी के नवीकरण का प्रमाण-पत्र ( अधिनियम संख्या 21 , 1860 के अधीन )

02-03-2023

जारी करने का दिनांक.....

सोसाइटी के रजिस्ट्रार के उत्तर प्रदेश

## संस्था का नाम:- श्री शिवदान सिंह शिक्षण संस्थान कस्बा व पोस्ट इगलास, जिला-अलीगढ (उ०प्र०)

## प्रबन्ध समिति के सदस्यों की सूची (वर्ष 2021–2022)

<b>क. स0</b>	नाम	पता	पद	व्यवसाय
1.	श्रीमती रचना सिंह	8 माल एवेन्यू लखनऊ	अध्यक्ष	गृहणी
2.	श्री सुशील अग्रवाल	राहुल नगर आजमगढ़	उपाध्यक्ष	कृषि
3	श्री सुनील सिंह	कोर्ट आफ वार्ड कम्पाउण्ड, अलीगढ, 3/325 मैरिस रोड, अलीगढ	प्रबन्धक / मंत्री	कृषि
4.	श्री राम निवास सिंह	8 माल एवेन्यू, लखनऊ	उप-प्रबन्धक	स्0सेवा
5.	श्री प्रदीप शर्मा	रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली	कोषाध्यक्ष	कृषि
6.	श्री अब्दुल हंक अंसारी	मुफतीगंज जौनपुर	ऑडीटर	कृषि
7.	श्री रामशरण शर्मा	ग्राम व पोस्ट इगलास जिला अलीगढ	सदस्य	नौकरी

Suehil

31-)

2141910114174E

।-संत्वा का नाम -

१- संस्था का पता .

3- संस्था का कार्य-केन -

4- संस्था के उददेशय --

श्री विवदान तिंह विध्य संस्थान ।

कत्था पोठ इगलास, तहठझगलास जिला- अली गड.

तम्पूर्व ३०५० होगा ।

संलग्नक त्युति-पत्र के अंकितानुसार अधरमः होगें।

5- संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग -

जो सज्जन इस संस्डान के नियमों विनियमों में विज्ञवास रखते रहे होगें, नैतिक आवरण वाले सद्वरित्र वाले होगे, विद्वान होंगें नियारित सदस्यता शुल्क देने पर इस संस्थाके सदस्य संस्था की प्रथन्धतमिति के 2/3 सदस्यों के बहुमत से अनुमोदन होने पर ही इस संत्या के सदस्य होगेंद्र सदस्यता आवेदन स्वीकृत करने या अस्वीकृत करने का अधिकार पुबन्धसमिति को होगा जिसका निर्णय अतिम व मान्य होगा ।

सदस्य निमन पुरुष्ट के होने -

131 संस्थापक सदस्य --

1व1 आजीवन सदस्य -

जो सज्जन उक्त वर्त के अनुसार योज्य होने सदस्यता शुल्क या दान के रूप में पन्द्रह लाख रूपया था इतने या इसने अधिक मूल्य को अवन वन सम्मारित दान स्वस्य निस्वार्थ भाव सेदेगा वह इस मंह्रधान का अन्तित्वन संस्थापन सदस्य होगें जो प्रवन्धसमिति में प्राति नीधान करेंगे तिकाल प्रवन्धसमिति के अभीसात सदस्य संस्था पर्वतिकाल करेंगे विकास सदस्य हैं कि देंगे होते भी संस्था के उपहोंने के अनुसार योग्य होगा संस्था को दो लाव स्थया दान स्तस्य या सदस्यता शुल्क के रूप में इस तंत्वा को देगा या इतने या इतने अधिक मुल्य की अपल-सल सम्मातित दान स्वस्य देगा वह इस संस्था का भाजीवन सदस्य होगा ।

6- सदस्यता की समारित -

1- सदस्य की मृत्यु होने, पागल, या दिवालिया घोषित होने

🏊 संस्था विरुद्ध कार्य करने पर आम तथा के 2/3 बहुमत से उटरेए के विक्ट अविध्वास का प्रस्ताव पारित होने पर।

3- लिसित त्याग-पत्र दिये जाने व उते आम सभा की मी दि म में 2/3 बहुमत से स्वीपूर्तिकेये जाने पर सदस्य की सदस्यता र पंजा हो समाप्त मानी जायेगी।

के मुद्रसारा गुल्ड न दिवे जाने पर ।

माधारवस्था ।वा प्रवन्धकारियी समिति ।

अता गठन- साधारण सभा का गठन संस्वा के सभी प्रकार के ecept of theree four order !

।वा वैठवें- ताधारण तथा की सामान्य बैठक व्य में दो तदा िलोध बैठक कभी भी आत्वस्थकता पड़ने पर पुलन्सक/मेंशी की मुपना पर सदस्यों को तुवना भेजकर सलाई जावेगी ।

।सः त्या-अवाध- सावारन तथा की सामान्य बैठकों की सुवनः सदस्यों को कम से कम 15 दिन पूर्व तका विशेष बैठक की सूचना तदस्यों को अदिन पूर्व लगना के किसी भी पर्याप्त माध्यम से सहत्याँ को दी बाविमी जोडाक, तार, न्युज्येपर, अन्य किसी माध्यम से पुजनवङ/मंत्री दारा दी जादेगी ।

। द । मणपूर्ति मणपूर्ति के लिये कुल सदस्यों की संख्या के 2/5 ---

वाबादराव १४ विद्व मानरा संन,

।या रिवत स्वानों की पूर्ति- प्रबन्धकारिजी समिति के अन्तर्गत यदि कोई आकृतिमक त्यान रिकत हो जाताहैतो इत त्यान कीपूर्ति पुबन्धका रिणीसमिति के सदस्यों के बहुमत से जाम सभा की भी दिंग में बेख कार्यकाल के लिये कर ली

।र। पुबन्धकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य-2- संस्था के उन्नति एवं विकास हेतु कार्य करना एवं आपसी विवादों को

2- नियमों विनियमों में संडोधन, परिवर्तन, परिवर्धन, सोसाठर जिठा कि संगत के अन्तर्गत करना । व उसे आम सभी की मी विंग में पुरुवत कर पारित कराना। 3- वाधिक बजट व वाधिक कार्यक्रमों की रूपरेवा तैयार करना स्वं स्वीकृत हेत

५- संत्वा के विकासार केन्द्रीय एवं राज्य सरकार से वित्तीय सहयोग प्राप्त करना एवं संत्थानों प्रतिष्ठानों, एवं नागरिकों से दान अनुदान बन्दा एवं वित्तीय सहायता/धर्म आदि प्राप्त करना प्राप्त आय को संस्था के हिताब उद्देश्यों की पृति एवं वैश्वितिश्व कार्यों पर व्यय करना ।

इ- तेत्था के चितार्व उपलेकाईयों एवं उपसंत्वानों की त्थापना करना व उनका संवासन करना ।

वत्य कार्यकाल- प्रबन्धकारियी समिति का कार्यकाल प्रति पाँच वर्ष का होगा। युनाय सर्वसम्माति से या गुप्त मतदान में से किसी भी प्रवाली द्वारा सम्पन्न कराधा जावेगा ।

10-पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य-

अध्यम् -

1- संत्या की और से समस्त प्रकार की भी दिंगी की अध्यक्षता करना। 2- मी दिग बुलाना व स्थिगित करना ।

3- किसी विश्वय पर बराबर मत की दक्षा में अपना निर्णायक मत देना। अ संत्या की प्रथम्पसामाति की आपात स्थिति में देखकर पुचन्यक/मंत्री की तिपन हरस । ति वितस्य में । किये जाने पर प्रमन्य समिति भेण कर कभी भी

5- लंदबर की जाम देवजाल करना ।

अध्या की अनुवास्त्रति में उनके द्वारा सीचे गये कार्यकरना सामान्य स्थितिमें

न्यक/मंत्री-व-संस्था को ओर से समस्त प्कार का पत्र व्यवहार करना ।

22 मी दिंग हमाना वहिन्यांमत करना. किसी विधय पर पुस्ताव पास होने पर उते कार्यानियत करवाना। मी दिंग कार्यवानी लिखना लिपिबद्ध करना । 3-दान बनुदान बन्दा एवं वित्तीय सहायता/श्य आहि प्राप्त करना व उसे

4- तंत्वा के और से समस्त आवायक दस्तावेजों, अब अनुदान पत्रों, वैको, हाप्टों बन्धक निलेवों, बिल-बाउवरों भादि पर इस्तावर करना व उसे स्वीकृत करना। 5- संत्या की और ते तमस्त प्रवार की अदालती कार्यवाही की वैरवी करना ल अभिनेत्रों को अधने पास शुरक्ति स्वना ।

6- तस्या के जन्तीयत संया लित शिवाप/पु विश्वष संस्थान के अन्तीयत कार्यस्त कर्म-वाहियाँ/अध्यापकों को नियुक्ति निस्कासन, पदी-मति-पदच्युत करना वेतन भोगी कर्मसारियों का वेलन तय करना, एवं उनका तेवा शर्त वैसे नियम संस्था

सत्य प्रतिविधिण प्रबन्धनिमिति में राथ में बनाना/तथ करना ।

कार्य मोबाइटाव इव विद्यु बावरा खंब, नायक 461617010

BYTENS +

सदस्यों की उपत्थिति का कीरम होगा, कीरम के अभाव में केठक तिक-गित कर दीजा देगी, हिंदगित बैठक पुन: अगले दिन होगी जिसमें कौरम कोई आवश्यकता नहोगी।

ध्या विजेब वाधिक अधिवेजन की तिथि- संस्था का विजेब वाधिक अधि-वेवान पृति वर्ध सत्र समाप्ति पर होगी जिसकी तिकि कार्यकारिणी समिति के बहुमत से तय की जावेगी । सूचना सभी सदस्यों को निविचत तिथि के 15 दिन पूर्व सदस्यों को दी जावेगी।

वर व साधारण सभा के अधिकार एवंकर्तव्य-

।-तंत्वा के नियमों विनियमों में संजीधन, परिवर्तन, परिवर्धन, सोसाठर जि अधि० की संगत धारा के अन्तगत 2/3 बहुमत से करना ।

2- वाधिक वजट व वाधिक कार्यक्रमों की तैयार रिपोर्ट पर विचार कर उते स्वीकृत करना ।

3- संस्था की पुबन्धकारिणी समिति का समय पर निर्वाचन सम्पन्न

## १-पुबन्धकारिणी समिति -

171 गठन- पुबन्धकारिकी समिति का गठन सैस्डा की साधारण सभा में से बहुमत से सात सहस्यों को पुनकर किया जादेगा । जिसमें अर्थ निमन सट्स्य व पदार्थिकारो होती :-

til geng .. vø

121 34 Lend - Ad

131 प्राचक गांनी- एक

१४१ उपपुरस्यक - एक

151 कीवारमद - एक

161 अरडीटर -

171 कार्यकारिणी सदस्य -- -

पुजन्धमामिति की संबंधा भाष्य वकतानुसार भागमभा के 2/3 बहुमत मे सद्दर्ध संख्या बदावर अधिक से अधिक ।। की जासकती हैतका कम से कम पुजनवस्तावात में सदस्य/पदाधिकारी के लिये पहले संस्थापक सदस्यों को

युना जातेगा । संस्थायक सदस्य का पूजन्यसमितिमें युना जाना अनिवार्य

वि वैद्वी - पुनन्तकारियी समिति की सामान्य सब बैठक वर्ष में दो तका अरवारप्यता पहले यह प्रथन्यक्रमंत्री व अध्यक्ष की सूचना पर सदस्यों को कहा भी हुएना ट्रेकर विशेष बैठक कुलाई जा सकती है।

त्तर पुरवा-अवाद- प्रवन्धकारणी लिमिति की सामान्य वैठकों की सूचना सदस्यों को कम से कम 10 दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सुवना 48-वण्टे पूर्व की तूबका पर्याप्त मानी जावेगी । सूबना किसी भी उचित माध्यम

।द। मध्यू ति -मध्यू ति के लिये कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 सदस्यों की सत्य प्रतिबिधि उप स्थिति काके रम होगा । कीरम के अभाव में स्थिगितबैठक पुनः अगले के दिन पूर्व हेनेण्डा विश्वय पर विवार करनेहेतु बुलाई जावेगी जिस्में को रम की कोई आव्यायकता न होगी।

नोट-

Askhan

निवंशक

कार बीबाइमात्र वर है

7-अन्य वे तभी आव्ययक कार्य करना जो तेल्यान के हित में हों व पूक्क्यतमिति के प्रतिकृत न हों करना । प्रबन्दन की अनुसरिवाति में उनके द्वारा सौधे गये कार्य करना सामान्य स्थिति उपपुषमध्य -में उनका तहयोग करना । I - तंत्रदा के आय-ट्यय का लेखा जोवा रवना एवं तमस्त आय-ट्यय वही पत्रों कोधारम्य-को तैयार करना एवं प्रवन्धक द्वारा साँपे गये कार्य करना । 2- तमस्त आय-ट्याय बड़ी पत्रों की आंडिट के सम्ब प्रस्तुत करना । तंत्का के जाय-द्यय वही पत्रों को तमाप्ति पर निरीधण करना एवं उसे जाहिट निरीधक -करना एवं करवाना आडिट रियार्ड कश्मुकारिणी समिति कीमी टिंग में रहना। ।।-संस्था के नियमों विनियमों में संबोधनपुक्ति।- संस्था के नियमों में संबोधन परिवर्तन परिवर्धन । सीकार्गा जा जा विश्व कारा के अन्तीयत ताथारण तथा के 2/3 बहुमत ते 12-संस्था केंछ एवं लेखा स्थलन्था- संस्था का कौचकिसी भी राष्ट्रीय कुत बैंक या गोस्ट आफिस में संत्वाके नाम अप्रे वाता डोलकर जमा किया जायेगा जिसका संवानन संस्था के पुष्टमांक के हरसावर से विधा बावेगा । 13- संस्था का लेखा प्रतिवयः अगाउदा- संस्था का लेखा प्रतिथम संस्था के किसी योग्य त्यक्ति या तंत्वा के द्वारा नियुक्त थार्टडस्काउन्हेन्ट द्वाराकिया जावेगा। 14- संस्था के द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही के संवालन का दायित्व-संतथा दारा होने वासी स स्त पुकार की अदालती कार्यवाही के संवालन की पैरवी तंत्था के पुबन्धक/मंत्री अथवा उनके अधिकृत व्यक्ति द्वारा की जावेगी । 15- संस्था के अधिलेख-1- सदसयता र जिल्लर । 2- कार्यवाची राविस्टर। ३- नेजर, वैज्ञातुक स्विन्दर । पन वेजेल्डा राज्यत् । 5- रतीट बुक एवं डाक पंत्रिका भाटि । 16- संस्था का विधटन- संस्था का विधटन और विद्यादित सम्पातित के निस्तारण की कार्यवादी त्रका वर विश्वतिष्ठकी धारण 13 वाय के अन्तीनत की जावेगी । राह्ममु कि लिपि दिनांक Reverka Monika sigh Syla Rik Zawi Cos